

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं०. 576/3/वीवीपीएटी/2017/एसडीआर-खण्ड.॥

दिनांक: 31 मार्च, 2017

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. असम
2. हिमाचल प्रदेश
3. मध्य प्रदेश
4. पश्चिम बंगाल
5. राजस्थान
6. कर्नाटक
7. तमिलनाडु
8. झारखण्ड
9. सिक्किम
10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

विषय: राज्य विधान सभाओं के लिए उप – निर्वाचन, 2017- वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) सहित ईवीएम का प्रयोग – तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग के दिनांक 22 मार्च, 2017 के पत्र सं. 576/3/ईवीएम/2017/एसडीआर-खण्ड ॥ अनुक्रम में, मुझे आयोग के दिनांक 31 मार्च, 2017 के निदेश सं. 576/3/वीवीपीएटी/2015/एसडीआर-खण्ड ॥ को एतद्वारा अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि असम में 113 – धेमाजी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में 36-भोरंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 09-अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 216-कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 79-धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 214-ननजनगुड़ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 224-गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 04-लिटिपाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सिक्किम में 28-अपर बुरटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 27-राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहां वोट के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली सभी मतदान मशीनों के ड्रॉप बॉक्स के साथ प्रिंटर संलग्न

किया जाएगा। यह निदेश उत्तर प्रदेश के शासकीय राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग को इसकी सूचना एवं रिकार्ड के लिए अग्रेषित की जाएं।

2. उपर्युक्त अनुदेश आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।

3. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी के प्रयोग के बारे में लिए गए निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

4. कृपया पावती दें।

भवदीय,

**(एन.टी. भुटिया)**  
अवर सचिव